संख्याः— — /XV-3/2025-03(03)2022-E37184

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2025

विषयः— राज्य सेक्टर अन्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" में नवीन गतिविधि को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3595/मुख्यमंत्री म०स०यो०/2025–26 दिनांक 12.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सेक्टर अन्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" में नवीन गतिविधियां "बैकयार्ड ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट" एवं "मीडियम स्केल ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट" को सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सेक्टर अन्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" में नवीन गतिविधियों के रूप में, "बैकयार्ड ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट" एवं "मीडियम स्केल ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट" को सम्मिलित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

<u>मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली नवीन गतिविधियों का विवरणः—</u>

गतिविधि	यूनिट लागत	अभ्युक्ति
बैकयार्ड ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट /	रू० 3.00 /लाख प्रति यूनिट	• लाभार्थी के पास 300 वर्ग फीट खाली भूमि अथवा लाभार्थी के घर में 300 वर्ग फीट भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। • लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 7 वर्षों हेतु लीज पर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। • उपरोक्त भूमि पर जलापूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था अनिवार्य है। • बैकयार्ड ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट के अन्तर्गत रियरिंग/कल्चर टैंक एवं शेड का कार्य सम्मिलित होगा।

File No. FISH-GEN/CMR/6/2022-XV-3-Animal Husbandry Department (Computer No. 37184)
Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, RO-Fisheries Section-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 22/09/2025 05:38 pm

		• यूनिट लागत के अन्तर्गत यूनिट का निर्माण एवं प्रथम वर्ष में लगने वाले निवेश की धनराशि सम्मिलित होगी। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 1 यूनिट देय होगी। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ /स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/महिला मंगल दल/नवुयवक मंगलदल आदि की स्थिति में 1 यूनिट × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा जो अधिकतम 20 यूनिट के अनुदान तक सीमित होगा। • यूनिटों का निर्माण कलस्टर के अन्तर्गत किया जा सकेगा जिसमें ऑरनामेंटल फिशरीज के न्यूनतम 10 यूनिट होंगे। • लाभार्थी द्वारा यूनिट निर्माण के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।
मीडियम स्केल ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट	रू० 8.00 लाख प्रति यूनिट	• लाभार्थी के पास 150 वर्ग मीटर खाली भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। • लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए अथवा न्यूनतम 7 वर्षों हेतु लीज पर भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। • उपरोक्त भूमि पर जलापूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था अनिवार्य है। • मीडियम स्केल ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट अन्तर्गत ब्रीडिंग, रियरिंग एवं कल्चर टैंक तथा शेड का कार्य सम्मिलित होगा। • यूनिट लागत के अन्तर्गत यूनिट का निर्माण एवं प्रथम वर्ष में लगने वाले निवेश की धनराशि सम्मिलित होगी। • एक व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 1 यूनिट देय होगी। • मत्स्य जीवी सहकारी समिति/फैडरेशन/महासंघ /स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ महिला मंगल दल/नवुयवक मंगलदल आदि की स्थिति में 1 यूनिट × सदस्यों की संख्या के समतुल्य यूनिटों हेतु अनुदान देय होगा जो अधिकतम 20 यूनिट के अनुदान हेतु सीमित होगा। • यूनिटों का निर्माण कलस्टर के अन्तर्गत किया जा सकेगा जिसमें ऑरनामेंटल फिशरीज के न्यूनतम 10 यूनिट होंगे। • लाभार्थी द्वारा यूनिट निर्माण के उपरान्त वार्षिक प्रबन्धन एवं रखरखाव स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।

(क) उक्त नवीन गतिविधियों हेतु लाभार्थी चयन, फंडिग पैर्टन, योजना का क्रियान्वयन तथा अन्य प्रक्रियायें आदि उक्त योजना के पूर्व शासनादेश संख्या–662/XV-3/2023-03(03)2022 दिनांक 20.11.2023 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(ख) उक्त योजना के दिशा–निर्देशों एवं वित्त विभाग के समस्त सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवमुक्त/भुगतान/अन्तरित की जाने वाली धनराशि के व्यय का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(ग) उपरोक्त वर्णित शासनादेश संख्या– 662/XV-3/2023-03(03)2022 दिनांक 20.11.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 22-09-2025 17:25:36

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्याः–726 (1)/XV-3/2025-03(03)2022-E37184, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, मत्स्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

File No. FISH-GEN/CMR/6/2022-XV-3-Animal Husbandry Department (Computer No. 37184)
Generated from eOffice by DHIRAJ KUMAR, RO-Fisheries Section-DK, REVIEW OFFICER, Animal Husbandry Department on 22/09/2025 05:38 pm